राजस्थान–सरकार

न्यायालय जिला कलक्टर, भीलवाड़ा

पीठासीन अधिकारी आशीष मोदी (आई.ए.एस.)

प्रकरण संख्या : 52 / 2020

1. आशाराम पिता हरिराम जाट निवासी सणगारी तहसील फूलियाकलां जिला भीलवाड़ा।	**बनाम**	1. राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय सणगारी वर्तमान में राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय सणगारी जरिये प्रधानाध्यापक, सणगारी तहंसील फूलियाकलां, जिला भीलवाड़ा 2. ग्राम पंचायत सणगारी जरिये सरपंच ग्राम पंचायत सणगारी पंचायत समिति शाहपुरा , जिला भीलवाड़ा।
–प्रार्थी / निगराकार		**–अप्रार्थीगण / गैर निगराकार**

निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायतराज अधिनियम, 1994 विरूद्ध निर्णय ग्राम पंचायत सणगारी आदेश दिनांक 04.12.2004।

उपस्थित –

1. श्री गोपाल अजमेरा – अधिवक्ता निगराकार।
2. श्री विपुल बापना (राजकीय अधिवक्ता)–गैर निगराकार संख्या 1।
3. श्री भैरू लाल बापना– अधिवक्ता गैर निगराकार संख्या 2।

:निर्णय:

दिनांक :01-08.2023

निगराकार द्वारा जरिये अधिवक्ता यह निगरानी अंतर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायतीराज अधिनियम, 1994 प्रस्तुत कर निवेदन किया गया कि विपक्षी सं. 2 द्वारा विपक्षी सं. 1 के हक में ग्राम सणगारी में दिनांक 04.12.2004 को पट्टा नियमों के विपरीत विपक्षी सं. 1 को लाभान्वित करने की नीयत से जारी किया गया जो अपास्त होने योग्य है। उक्त पट्टा जारी करने में पंचायती राज नियमों की पालना नहीं की गयी। जिस जगह का पट्टा जारी किया गया उसके आंशिक भूभाग पर प्रार्थी निगराकार के पिता हरिराम जाट का काफी लम्बे समय से अर्थात् 70 वर्षों से अधिक समय से ही कब्जा चला आ रहा था तथा वर्ष 1997 में प्रार्थी के पिता हरिराम ने पट्टा प्राप्त करने हेतु प्रार्थना पत्र भी विपक्षी सं. 2 ग्राम पंचायत के समक्ष प्रस्तुत किया था तथा वांछित शुल्क भी जमा करवाया था। हरिराम का निधन वर्ष 2004 में हो गया है तथा वर्तमान में कब्जा प्रार्थी का चला आ रहा है। विपक्षी सं. 1 को पट्टा जारी करने बाबत् कोई पत्रावली कायम नहीं की गयी, केवल मात्र प्रशासन गांवों के संग अभियान 2004 में विपक्षी संख्या 1 को बिना कोई प्रक्रिया अपनाये, पंचायती राज नियमों की पालना किये बिना पट्टा जारी कर दिया।

गैर निगराकार ने अपने जवाब में आगे यह भी बताया कि दिनांक 04.12.2004 को प्रमुख शासन सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग राजस्थान जयपुर के परिपत्र क्रमांक 3388 दिनांक 08.11.2004 के परिप्रेक्ष्य में ग्राम पंचायत सणगारी की प्रशासन आपके द्वार अभियान 2004 कोरम में आयोजित ग्राम सभा में उक्तानुसार 200 बाई 300 फीट के भूखण्ड का नि:शुल्क पट्‌टा सं. 3360 राज्य सरकार के द्वारा दिये गये विशेष निर्देशानुसार उपखण्ड अधिकारी, शाहपुरा की अध्यक्षता में विपक्षी सं. 1 के नाम पर जारी किया गया है। उक्त ग्राम सभा में समस्त ग्रामवासियों की उपस्थिति में सर्वसम्मति से उक्त पट्‌टा जारी किया गया है जिससे कोई आपत्ति जारी करने का कोई औचित्य नहीं रह जाता है। वर्तमान में राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय सणगारी क्रमोन्नत होकर राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय हो गया है। विद्यालय के वर्तमान भवन में मात्र 4 कमरे व मात्र एक शौचालय–मूत्रालय है और यह भवन भी खारी नदी के बहाव क्षेत्र में बना हुआ है, जिससे जब खारी नदी पूरी बहती है तो पानी विद्यालय के बरामदे की सीढ़ियों तक आ जाता है जिससे शिक्षा विभाग द्वारा नवीन भवन के निर्माण का प्रस्ताव मय उपलब्ध पट्‌टाशुदा भूमि के राजस्थान डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउण्डेशन ट्रस्ट (DMFT) के समक्ष प्रस्तुत किया गया जिस पर DMFT द्वारा आदेश सं. DMFT/FS/2108–19/953–54 दिनांक 24.09.2018 द्वारा सम्पूर्ण विद्यालय भवन हेतु 98 लाख रूपयों की प्रशासनिक व वित्तीय स्वीकृति जारी की गयी और निर्माण कार्य का ठेका श्री श्रेया कन्स्ट्रक्शन को दिया गया और विद्यालय द्वारा दिनांक 08.03.2019 को 82,69,230.96/– रूपयों का वर्कऑर्डर जारी किया गया। DMFT द्वारा भवन निर्माण स्वीकृति के पूर्व उपखण्ड अधिकारी, फूलियाकलां के नेतृत्व में विद्यालय के कार्यवाहक प्राधानाचार्य एवं JEN रमसा शाहपुरा की उपस्थिति में पट्‌टाशुदा स्थल का भौतिक सत्यापन किया गया जिसमें यह पाया गया कि उक्त भूमि पर किसी प्रकार का कोई अतिक्रमण नहीं है।

उक्त वर्क ऑर्डर जारी होने के उपरांत विद्यालय द्वारा दिनांक 11.03.2019 को उपखण्ड अधिकारी, शाहपुरा के समक्ष अपने पत्र क्रमांक 821 द्वारा उक्त पट्‌टेशुदा भूखण्ड का सीमांकन कराने हेतु निवेदन किया जिसकी प्रतिलिपी तहसीलदार एवं सरपंच को भी दी गयी जिस पर ग्राम पंचायत सणगारी ने समस्त ग्रामवासियों के समक्ष दिनांक 4–6–2019 को उक्त पट्‌टेशुदा भूखण्ड का चिन्हीकरण कर मापकर 200 बाई 300 फीट भूखण्ड का मौका पर्चा बनाकर विद्यालय को संभलाया गया। इसके बाद दिनांक 15.06.2019 को नींव का मुहुर्त कर विद्यालय भवन का निर्माण कार्य प्रारम्भ किया गया जो निरंतर जारी है और वर्तमान में 10 कमरों में आर. सी.सी. एवं प्लास्टर का कार्य पूर्ण हो चुका है, 8 कमरों व बरामदे में फर्शी का कार्य पूर्ण हो चुका है तथा 82 लाख रूपये के वर्क ऑर्डर में से 36 लाख रूपयों का भुगतान ठेकेदार को किया जा चुका है और विद्यालय भवन का काफी निर्माण कार्य हो चुका है। अतः निगराकार की निगरानी निरस्त फरमायी जावें।

जिला कलक्टर
भीलवाड़ा

उभयपक्षों की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों का गहनता से अवलोकन एवं परीक्षण किया गया। निगराकार द्वारा अपने निगरानी प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को प्रमाणित करने के संबंध में ऐसा कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया गया है जिससे गैर निगराकार संख्या 02 द्वारा गैर निगराकार संख्या 01 को जारी किया गया पट्टा विधिविरूद्ध जारी किया जाना सिद्ध होता हो एवं ना ही निगराकार द्वारा ऐसे कोई दस्तावेज पेश किये है जिससे प्रश्नगत जायदाद पर उनका कब्जा होना सिद्ध होता हो।

गैर निगराकार संख्या 01 द्वारा अपने जवाब प्रार्थना पत्र के समर्थन में RDMFT अंतर्गत विद्यालय के कार्यों का भौतिक सत्यापन प्रपत्र की प्रति, विद्यालय द्वारा पट्टेशुदा भुखण्ड का सीमांकन कराने हेतु लिखे गये पत्र की प्रति, विद्यालय के पट्टेशुदा भुखण्ड पर निर्माण कार्य हेतु प्रशासनिक व वित्तीय स्वीकृति की प्रति, निर्माण कार्य हेतु जारी वर्क ऑर्डर की प्रति, ग्राम पंचायत सणगारी द्वारा जारी मौका पर्चा की प्रति इत्यादि प्रस्तुत किये है।

RDMFT अंतर्गत विद्यालय के कार्यों का भौतिक सत्यापन प्रपत्र जिस पर उपखण्ड अधिकारी, फुलियाकलां के भी हस्ताक्षर है, में स्पष्ट अंकित किया हुआ है कि प्रस्तावित स्थल सम्पूर्ण ग्राम पंचायत एवं पड़ौस के अन्य गांवों के भी पहुंच में है जिससे नवीन भवन बनने पर नामांकन में वृद्धि, गुणात्मक सुधार, सह–शैक्षणिक गतिविधियों का भी सुचारू संचालन हो सकेगा। ग्राम पंचायत सणगारी का मौका पर्चा दिनांकित 04.06.2019 अनुसार ग्रामवासियों की उपस्थिति में ग्राम पचांयत कोरम के प्रस्ताव संख्या 03 दिनांक 04.06.2019 के अनुसार राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, सणगारी को वर्ष 2004 में रा.उ.प्रा.वि. सणगारी के नाम खसरा संख्या 493/75 में जारी पट्टे का वर्तमान परिस्थितियों व पट्टे में दिए गए नक्से के आधार पर सीमांकन कर उक्त भूमि रा0उ0मा0वि0 सणगारी को सुपूर्द किया गया है।

गैर निगराकार संख्या 2 ग्राम पंचायत, सणगारी पं.स. शाहपुरा द्वारा अपने जवाब में स्पष्ट अंकन किया है कि ग्राम पंचायत के कोरम दिनांकित 05.10.2004 में प्रस्ताव सं. 4 द्वारा भविष्य में विद्यालय विस्तार को देखते हुए ग्राम पंचायत की आबादी भूमि खसरा सं. 493/75 में से 200 बाई 300 फीट के भूखण्ड का निःशुल्क पट्टा विपक्षी सं. 1 को राज्य हित में दिया जाने का निर्णय सर्वसम्मति से पारित किया गया और इस प्रस्ताव के अनुसरण में दिनांक 04.12.2004 को श्रीमान् प्रमुख शासन सचिव ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग राजस्थान सरकार जयपुर के परिपत्र क्रमांक 3388 दिनांक 08.11.2004 के परिप्रेक्ष्य में ग्राम पंचायत सणगारी की प्रशासन आपके द्वारा अभियान, 2004 कोरम में आयोजित ग्राम सभा में उक्तानुसार 200 बाई 300 फीट के भूखण्ड का निःशुल्क पट्टा सं. 3360 राज्य सरकार के द्वारा दिये गये विशेष निर्देशानुसार उपखण्ड अधिकारी, शाहपुरा की अध्यक्षता में विपक्षी सं. 1 के नाम पर जारी किया गया जो बिल्कुल सही तौर से जारी किया गया था। प्रार्थी निगराकार या उसके पिता का विपक्षी संख्या 1 को जारी उक्त पट्टे की भूमि पर कोई कब्जा नहीं था और न ही है। इस प्रकार प्रश्नगत भूमि का पट्टा राज्य सरकार के विशेष निर्देशानुसार उपखण्ड उपखण्ड अधिकारी, शाहपुरा की अध्यक्षता में विद्यालय को जारी किया जाना पूर्णतः विधि सम्मत है।

उपरोक्त सम्पूर्ण विवेचन अनुसार निगराकार द्वारा प्रस्तुत निगरानी स्वीकार योग्य नहीं ठहरती है एवं निगराकार द्वारा निगरानी प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों के सही साबित करने के संबंध में एवं प्रश्नगत आराजी पर स्वयं के कब्जे बाबत् वांछित दस्तावेज पेश नहीं कर पाने से यह सिद्ध नहीं होता है कि विवादग्रस्त जायदाद जिसका ग्राम पंचायत, सणगारी तहसील फुलियाकलां द्वारा पट्टा दिनांकित 04.12.2004 गैर निगराकार संख्या 01 के पक्ष में जारी किया गया है, वह गलत तौर जारी किया गया हो। अतः निगराकार की निगरानी को सारहीन, तथ्यहीन एवं आधारहीन होने से खारिज किया जाना उचित है। अतएव–

आदेश

अतः निगराकार द्वारा प्रस्तुत निगरानी अंतर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायतीराज अधिनियम, 1994 अस्वीकार की जाती है एवं ग्राम पंचायत सणगारी तहसील फुलियाकलां द्वारा पारित पटटा संख्या 3360 दिनांकित 04.12.2004 यथावत रखा जाता है। निर्णय की प्रति पालनार्थ मय अधीनस्थ न्यायालय का तलबिदा रिकॉर्ड ग्राम पंचायत, सणगारी तहसील फुलियाकलां जिला भीलवाड़ा को प्रेषित की जावें।

आदेश आज दिनांक 01.08.2023 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बाद हस्ताक्षर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(आशीष मोदी)
जिला कलक्टर
भीलवाड़ा

जिला कलक्टर
भीलवाड़ा

जिला कलक्टर भीलवाड़ा (राज.)